अनुदान संख्या 51 – दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
GRANT No. 51 - DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-		2768,10,00	1963,09,96	-805,00,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				804,82,02
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	752,42,00	752,44,00	377,33,41	-375,10,59
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				375,08,06

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	23673.00	19242.98	19242.34	-0.64
पु.	R.	-4430.02			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	14549.00	15629.78	15625.26	-4.52
पु.	R.	1080.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	22983.00	15235.15	15235.08	-0.07
पु.	R.	-7747.85			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	800.00	164.37	164.27	-0.10
पु.	R.	-635.63			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	39475.00	15368.08	15368.00	-0.08
पु.	R.	-24106.92			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	136276.00	98518.22	98518.01	-0.21
पु.	R.	-37757.78			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	903.00	135.93	135.88	-0.05
पु.	R.	-767.07			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	3844.00	1861.90	1861.90	..
पु.	R.	-1982.10			

(I) ₹1087.10 लाख का प्रावधान उनतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1087.10 lakhs remained wholly unutilized under twenty nine heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2202" - "General"- savings occurred under the following heads:-

(का) "छात्रवृत्तियां – अन्य स्कीमें" – ₹1187.24 लाख की बचत (₹1502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Scholarships - Other Schemes" - saving of ₹1187.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1502.00 lakhs);

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–स्थापना" – ₹1396.13 लाख की बचत (₹1426.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Establishment" - saving of ₹1396.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1426.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "2217" – "अन्य शहरी विकास स्कीमें – नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषद–नगर पालिका परिषदों" के अंतर्गत ₹7550.68 लाख की बचत (₹9120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(III) Under Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes - Assistance to Municipalities/ Municipal Councils - Municipal Councils" - saving of ₹7550.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9120.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – बाल कल्याण – स्थापना" – ₹534.02 लाख की बचत (₹580.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare - Establishment" - saving of ₹534.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "2515" – "जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों – पंचायतों को सहायता" के अंतर्गत ₹24016.02

(V) Under Major Head "2515" - "Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats -

लाख की बचत (₹38425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने कारण हुईं।

(VI) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – दमन और दीव में बिजली का पारेषण और वितरण – संचालन और रखरखाव" के अंतर्गत ₹37500.01 लाख की बचत (₹134500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की कम खरीद की जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – उद्योग निदेशालय" के अंतर्गत ₹761.51 लाख की बचत (₹888.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति होने, प्रस्तावों के अनुमोदन न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव" के अंतर्गत ₹1483.00 लाख की बचत (₹1533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IX) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1906.56 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 72 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवा–एलोपैथी–अस्पताल और औषधालय–सरकारी अस्पताल" – ₹533.38 लाख का अधिक

Panchayats" - saving of ₹24016.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38425.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Daman and Diu - Operation and Maintenance" - saving of ₹37500.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹134500.00 lakhs) was due to purchase of less power and renewable energy certificates owing to COVID-19 pandemic.

(VII) Under Major Head "2852" - "General - Direction and Administration - Directorate of Industries" - saving of ₹761.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹888.00 lakhs) was due to receipt of less claims, non-approval of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) Under Major Head "3053" - "General - Direction and Administration - Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu" - saving of ₹1483.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1533.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IX) Under five heads savings of ₹1906.56 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 18 percent to 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were offset by excess under Major Head "2210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Service-Allopathy-Hospital and Dispensaries-Government Hospitals" - excess of

व्यय (₹4312.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना हुआ) छुट्टी यात्रा रियायत नकद पैकेज, आशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नति स्कीम और कोविड–19 की वजह से चिकित्सा संबंधी सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

₹533.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4312.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards leave travel concession cash package , Modified Assured Career Progression Scheme and procurement of medical related material owing to COVID-19.

(खा) "लोक स्वास्थ्य – निदेशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" – ₹531.03 लाख का अधिक व्यय (₹6183.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदागत कर्मचारियों को रखे जाने और कोविड–19 की वजह से चिकित्सा संबंधित सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Public Health-Direction and Administration-Directorate of Health Services" - excess of ₹531.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6183.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of contractual staff and procurement of medical related material owing to COVID-19.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹750.54 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत और 43 प्रतिशत थीं।

(II) Under two heads excess of ₹750.54 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 23 percent and 43 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	6023.00	3909.14	3909.11	-0.03
पु.	R.	-2113.86			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	10195.00	5573.85	5573.83	-0.02
पु.	R.	-4621.15			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	14792.00	5739.42	5739.35	-0.07
पु.	R.	-9052.58			
मुख्य शीर्ष "4215" जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	1875.00	318.03	318.02	-0.01
पु.	R.	-1556.97			
मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	1183.00			
पू.	S.	1.00	1611.00	1609.87	-1.13
पु.	R.	427.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3466.00	2887.20	2887.19	-0.01
पु.	R.	-578.80			
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तम्भों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	1020.00	1.49	1.47	-0.02
पु.	R.	-1018.51			
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	3651.00	100.00	100.00	..
पु.	R.	-3551.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	22839.00	13583.80	13583.79	-0.01
पु.	R.	-9255.20			
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	6195.00	2547.66	2547.65	-0.01
पु.	R.	-3647.34			

(I) ₹3245.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2050.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "4202" – "खेल और युवा सेवाएं–खेल स्टेडियम–खेल विकास" – ₹900.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "5452" – "पर्यटन अवसंरचना – पर्यटक केन्द्र – निर्माण" – ₹1150.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – सामान्य प्रशासन" के अंतर्गत ₹2105.02 लाख की बचत (₹6008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(III) मुख्य शीर्ष "4202" – "सामान्य शिक्षा – सामान्य – भवन" के अंतर्गत ₹3167.17 लाख की बचत (₹5800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(IV) मुख्य शीर्ष "4215" – "जलापूर्ति" के अंतर्गत बचतें निम्मिलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(का) "शहरी जलापूर्ति – शहरी क्षेत्रों को जलापूर्ति" के अंतर्गत ₹549.97 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "ग्रामीण जलापूर्ति – निर्माण" के अंतर्गत ₹1007.01 लाख की बचत (₹1275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(V) मुख्य शीर्ष "4801" – "पारेषण और वितरण – भवन – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव" के अंतर्गत ₹568.80 लाख की बचत (₹966.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(I) Provision of ₹3245.00 lakhs remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹2050.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4202" - "Sports and Youth Services-Sports Stadia-Sports Development" - ₹900.00 lakhs; and

(B) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure-Tourist Centre-Construction" - ₹1150.00 lakhs.

Provisions under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "4059" - "General - Construction - General Administration" - saving of ₹2105.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6008.00 lakhs);

(III) Under Major Head "4202" - "General Education - General - Buildings" - saving of ₹3167.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "4215" - "Water Supply" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Water Supply-Water Supply to Urban Areas" - saving of ₹549.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs);

(B) "Rural Water Supply - Construction" - saving of ₹1007.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1275.00 lakhs);

(V) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Buildings - Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu" - saving of ₹568.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹966.00 lakhs);

(VI) मुख्य शीर्ष “5051” – “लघु पत्तन – अन्य लघु पत्तन – पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास” – ₹1018.53 लाख की बचत (₹1020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VII) मुख्य शीर्ष “5053” – “विमान पत्तन – हवाई अड्डा – हवाई अड्डों का निर्माण और विकास” – ₹3551.00 लाख की बचत (₹3651.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VIII) मुख्य शीर्ष “5452” – “पर्यटन अवसंरचना – पर्यटक परिवहन – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव” – ₹2487.35 लाख की बचत (₹5035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IX) मुख्य शीर्ष “5054” – “जिला और अन्य सड़कें” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) “पुल – निर्माण” – ₹1500.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(खा) “सड़क निर्माण कार्य – जिला सड़कें” – ₹7755.21 लाख की बचत (₹19839.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(X) मुख्य शीर्ष “4210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – भवन” के अंतर्गत ₹9052.65 लाख की बचत (₹14792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण चिकित्सा क्षेत्र के अंतगर्त कार्य के कार्यान्वनयन में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(VI) Under Major Head “5051” - “Minor Ports - Other Small Ports - Construction and Development of Ports and Light Houses” - saving of ₹1018.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1020.00 lakhs);

(VII) Under Major Head “5053” - “Air Ports - Aerodromes - Construction and Development of Air Ports” - saving of ₹3551.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3651.00 lakhs);

(VIII) Under Major Head “5452” - “Tourist Infrastructure - Tourist Transport - Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu” - saving of ₹2487.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5035.00 lakhs); and

(IX) Under Major Head “5054” - “District and Other Roads” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Bridges - Construction” - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs).

Savings under the above nine heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Road Works - District Roads” - saving of ₹7755.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19839.00 lakhs) was due to delay in execution of projects and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(X) Under Major Head “4210” - “Medical Education Training and Research - Allopathy - Buildings” - saving of ₹9052.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14792.00 lakhs) was due to delay in execution of works under Medical Sector owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(XI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1103.12 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत से 92 प्रतिशत थीं।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹850.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4406" – "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव– वन्य जीव – भवन" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹848.99 लाख था।

(XI) Under three heads savings of ₹1103.12 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 41 percent to 92 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹850.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "4406"- "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life - Buildings." Actual excess, however, was ₹848.99 lakhs.